दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 4 फरवरी, 2014
उद्घोषित: 18 मार्च, 2014

आप.अ. 773/2011 और आप.वि.(ज़) 2332/2013

अरुण और अन्य .....अपीलार्थीगण

द्वारा : श्री एस.एस अहलूवालिया, अपीलार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता
सुश्री नंदिता राव, अपीलार्थी 2 और 3 के अधिवक्ता

बनाम

राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री राजदीपा बेहुरा, अति.लो.अभि.

आप.अ. 646/2011

पृथ्वी राज .....अपीलार्थी

द्वारा: श्री सिद्धार्थ अग्रवाल सह
श्री गौतम खजांची, अधिवक्तागण

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री राजदीपा बेहुरा, अति.लो.अभि.

आप.अ. 1094/2011

कृष्ण कुमार उर्फ़ कृष्णा ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री के. सिंघल, अधिवक्ता

बनाम

राज्य ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री राजदीपा बेहुरा, अति.लो.अभि.

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना

माननीय न्यायमूर्ति श्री जी.पी. मित्तल

निर्णय

न्या. श्री जी.पी. मित्तल

1. अपीलार्थीगण अरुण कुमार, राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा, पृथ्वी राज और रानी ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (अति.स.न्या.), पश्चिम 02, दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 26.02.2011 के निर्णय और दिनांक 15.03.2011 के सजा आदेश को चुनौती दी जिसके तहत अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता, 1860 (भा.दं.सं.) की धारा 302/34 सहपठित धारा 120ख के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 5,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माने का भुगतान न करने पर प्रत्येक अपीलार्थी को छह महीने के लिए साधारण कारावास की सजा सुनाई गई।

2. संक्षेप में कहा जाए तो अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सतदेव राठी (मृतक) के.एन. इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जिसका मालिक कुलदीप सिंह दलाल (अभि.सा.-13) है। पाँचों अपीलार्थी पहले उक्त फैक्ट्री में कार्यरत थे। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना से 2-3 महीने पहले, अपीलार्थी राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज ने ड्यूटी के दौरान फैक्ट्री में शराब पी थी और उसके बाद मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस दुर्व्यवहार के कारण उन्हें सेवा से निकाल दिया गया था।

3. यह भी आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी अरुण कुमार और रानी एक दूसरे से प्यार करते थे। एक दिन रानी और तरुण (अरुण का भाई) ने फैक्ट्री में ऊंची आवाज में झगड़ा शुरू कर दिया। उन्हें कार्यालय में बुलाया गया और धैर्य रखने की सलाह दी गई। यह भी आरोप लगाया गया है कि मृतक ने एक बार अपीलार्थी अरुण कुमार और रानी को फैक्ट्री के अंदर एक खाली कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में पाया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि उसके बाद अपीलार्थी अरुण कुमार ने फैक्ट्री आना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इस प्रकार, अपीलार्थीगण के इन दो समूहों की शिकायत ने उन्हें मृतक को खत्म करने का मकसद दिया।

4. इसलिए, सभी अपीलार्थीगण ने कथित रूप से एक साजिश रची। अपीलार्थीगण ने तय किया कि अपीलार्थी रानी मृतक को खुले मैदान में ले जाएगी, जहाँ बाकी चार अपीलार्थी उसे खत्म कर देंगे। साजिश के तहत, 17.10.2008 को अपीलार्थी रानी ने मृतक को करवाचौथ मनाने के लिए कहा और उसे शाम को *टिकरी* बॉर्डर पर मिलने के लिए राजी किया। योजना के अनुसार, रानी मृतक से *टिकरी* बॉर्डर पर मिली और उसे *तूर* (*अरहर*) के खेत में ले गई। बाकी चार अपीलार्थीगण ने सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए दोनों का पीछा किया। रानी ने मृतक को खुद कपड़े उतारने को कहा और उसके बाद अपीलार्थी अरुण कुमार, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और राम प्रकाश ने उसे पकड़ लिया, जबकि अपीलार्थी पृथ्वी राज सड़क पर निगरानी रख रहा था। इसके बाद, अपीलार्थी अरुण कुमार, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और राम प्रकाश ने मृतक पर चाकू से वार किए और उसे मारने के बाद भाग निकले।

5. यह आरोप लगाया गया है कि 17.10.2008 को *करवाचौथ* था और अभि.सा.-1 की मां (श्रीमती सुशीला ने उनके पिता (मृतक) को उनके मोबाइल नंबर 9416052814 पर लगभग 6:00 बजे फोन किया था। उसके पिता ने उसकी मां से कहा कि वह आधे घंटे में लौट आएगा। इसके बाद अभि.सा.-1 खेलने के लिए निकला। वह लगभग 7:30-7:45 बजे लौटा और उसकी मां ने उसे अपने पिता (मृतक) के घर नहीं पहुंचने

की सूचना दी। अभि.सा.-1 ने मृतक से उसके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन वह बंद पाया गया। अभि.सा.-1 भी रात में उस कारखाने में गया जहां मृतक काम करता था लेकिन उसे अपने पिता का कोई सुराग नहीं मिला क्योंकि उसे गार्ड द्वारा सूचित किया गया था कि सभी कर्मचारी कार्यालय बंद होने के समय चले गए थे। इस प्रकार, अभि.सा.-1 ने अभि.सा. -2 सहित अपने अन्य रिश्तेदारों के साथ पूरी रात अपने पिता की तलाश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

6. 18.10.2008 को प्रातः लगभग 7:15 बजे अभि.सा..-1 ने पुनः तलाश आरम्भ की तथा अन्ततः प्रातः लगभग 8:15 बजे वह पुलिस चौकी *टिकरी* पहुंचा। पुलिस ने अभि.सा.-1 को सूचित किया कि निजामपुर रोड पर एक शव मिला है। जब अभि.सा.-1 तथा अभि.सा.-2 पुलिस चौकी से निकल रहे थे, तब के.एन. इंटर प्लास्ट प्रा. लिमिटेड के मालिक कुलदीप सिंह दलाल (अभि.सा.-13) भी पुलिस चौकी पहुंचे। वे उस स्थान पर पहुंचे जहां कथित रूप से शव पड़ा था। शव को देखकर अभि.सा.-1 ने उसकी पहचान की कि ये उसका पिता है। उसने पुलिस को बयान प्र.अभि.सा.-19/ए दिया, जिस पर एस.आई. ओम प्रकाश (अभि.सा.-24) द्वारा प्र.अभि.सा.-24/ए का समर्थन किया गया तथा उसे प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस थाने को प्रेषित किया गया।

7. अपीलार्थीगण द्वारा धारा 302/34 भा.दं.सं. और धारा 302/120बी भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप में दोषी न होने का तर्क देने पर अभियोजन पक्ष ने 24 गवाहों से पूछताछ की। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के तहत अपनी पूछताछ में अपीलार्थीगण ने अभियोजन पक्ष द्वारा उनके खिलाफ पेश किए गए संलिप्तता दर्शाने वाले सबूतों को नकारते हुए कहा कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है।

8. अपीलार्थी कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा, राम प्रकाश और पृथ्वी राज ने स्वीकार किया कि वे मेसर्स के.एन. इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत थे। हालांकि, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी फैक्ट्री में शराब पी थी या उन्हें नौकरी से निकाला गया था। अपीलार्थी राम प्रकाश ने इस बात से इनकार करते हुए कि उन्हें कभी मृतक ने फैक्ट्री से निकाला था, कहा कि उन्होंने अप्रैल, 2008 में खुद ही नौकरी छोड़ दी थी। इसी तरह, अपीलार्थी पृथ्वी राज और कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा ने भी कहा कि उन्हें कभी भी नौकरी से नहीं निकाला गया था और उन्होंने जून-जुलाई, 2008 में खुद ही मेसर्स के.एन. इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी छोड़ दी थी। साथ ही, अपीलार्थी अरुण कुमार और रानी ने इस बात से इनकार किया कि उन्हें कभी मृतक ने किसी

अश्लील हालत में देखा था या उन्हें मृतक के खिलाफ कभी कोई शिकायत थी।

9. अपीलार्थीगण ने अपने बचाव में चार गवाहों से पूछताछ की। श्याम लाल (प्रति.सा.-1) से यह साबित करने के लिए पूछताछ की गई कि 19.10.2008 की रात को कुछ पुलिस अधिकारी गांव *टिकरी कलां* में आए और अपीलार्थी राम प्रकाश और पृथ्वी राज को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और इस प्रकार, प्रति.सा.-1 ने इन दो अपीलार्थीगण की 20.10.2008 को गांव *टिकरी कलां* से गिरफ्तारी के बारे में अभियोजन पक्ष के बयान को गलत साबित करने की कोशिश की। कमलेश (प्रति.सा.-2) अपीलार्थी अरुण कुमार की मां हैं। उन्होंने गवाही दी कि उनके बेटे अरुण कुमार को पुलिस ने 18.10.2008 को शाम 6:30-7:30 बजे उनके घर से उठाया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपीलार्थी रानी को एक मोबाइल फोन दिया था क्योंकि वह उनके बेटे अरुण के साथ काम करती थी। प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अरुण को 20.10.2008 को टिकरी बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। विजय कुमार (प्रति.सा.-3) ने भी प्रति.सा.-2 की पुष्टि की तथा 18.10.2008 को अपीलार्थी अरुण कुमार को पकड़े जाने के बारे में बयान दिया। अपीलार्थी रानी के भाई मुकेश (प्रति.सा.-4) ने गवाही दी कि 19.10.2008 को लगभग 8:00 बजे वह अपनी बहन रानी के साथ नाश्ता कर रहा था। अपीलार्थी अरुण कुमार ने उसकी बहन के मोबाइल

पर फोन करके कहा कि वह बाबा हरिदास मंदिर में उससे पांच मिनट के लिए मिलना चाहता है। जब वे वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया; 3-4 घंटे बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे छोड़ दिया लेकिन उसकी बहन रानी को इस मामले में झूठा फंसा दिया गया।

10. साक्ष्य का विवेचन करते हुए, विचारण न्यायालय ने राय दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य, साजिश में शामिल होने और मृतक की हत्या करने के अपराध के लिए अपीलार्थीगण के खिलाफ दोष का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त थे। इस प्रकार, अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया गया और जैसा कि पहले कहा गया था, उन्हें सजा सुनाई गई। अपीलार्थीगण अरुण कुमार, कृष्ण कुमार @ कृष्णा और राम प्रकाश @ गुड्डू के कहने पर चाकू (प्र. पी-1 से पी-3) की बरामदगी और अपीलार्थी अरुण कुमार, कृष्ण कुमार @ कृष्णा और राम प्रकाश से कुछ खून से सने कपड़े बरामद करने के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में *'आखिरी बार एक साथ देखे जाने'* की परिस्थिति और अपराध करने के मकसद पर भरोसा किया।

11. इससे पहले कि हम अभियोजन पक्ष द्वारा दबाव डाली गई परिस्थितियों पर ध्यान दें और उनका विश्लेषण करें, हम अभियोजन पक्ष द्वारा

पूछताछ किए गए कुछ महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य का उल्लेख करना चाहेंगे।

12. अजीत सिंह (अभि.सा.-3) और कुलदीप सिंह दलाल (अभि.सा.-13) अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित सबसे महत्वपूर्ण गवाह हैं, जिन्होंने यह साबित किया कि मृतक को अंतिम बार अपीलार्थीगण के साथ 17.10.2008 को लगभग 7:30 बजे जीवित देखा गया था। उन्होंने अपराध करने का उद्देश्य भी साबित करने का प्रयास किया। अमित राठी (अभि.सा.-1) और युद्धवीर सिंह (अभि.सा.-2) ने 17.10.2008 की पूरी रात मृतक की तलाश करने और 18.10.2008 की सुबह शव की बरामदगी के बारे में गवाही दी। डॉ. वी.के. झा (अभि.सा.-8) ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था। चूंकि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और 'आखिरी बार साथ देखे जाने' की परिस्थिति अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक है, इसलिए मृत्यु के समय का निर्धारण करने और *'आखिरी बार साथ देखे जाने'* के मामले में गवाह अभि.सा.-3 और अभि.सा.-13 की सत्यता और विश्वसनीयता का परीक्षण करने के लिए उनका साक्ष्य महत्वपूर्ण है।

13. अभि.सा.-13 ने बयान दिया कि मृतक पिछले दस वर्षों से उनकी फैक्ट्री मेसर्स के.एन. इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में मैनेजर के पद पर काम

कर रहा था। 17.10.2008 को वह कंझावला-निजामपुर रोड से बहादुरगढ़ जा रहा था। शाम करीब 7:00 बजे गांव निजामपुर से रोहतक रोड की तरफ जाते समय उसने मृतक को अपीलार्थी रानी के साथ निजामपुर रोड की तरफ जाते देखा। उसने यह भी देखा कि बाकि चार अपीलार्थी अरुण कुमार, राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज करीब 50 मीटर की दूरी से उनका पीछा कर रहे थे। उसने बयान दिया कि अपीलार्थी अरुण, राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज उसके पूर्व कर्मचारी थे। उन्हें उनके बुरे व्यवहार के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था। उन्होंने गवाही दी कि राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वे शराब के नशे में फैक्ट्री में आए थे और फिर फैक्ट्री के मैनेजर (मृतक) के साथ दुर्व्यवहार किया था। मृतक ने उन्हें घटना के बारे में बताया और इसलिए उन्होंने जून के अंत या जुलाई, 2008 की शुरुआत में उन्हें नौकरी से निकालने का कदम उठाया। उन्होंने यह भी गवाही दी कि अपीलार्थी अरुण और रानी को मृतक ने आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। मृतक ने उन्हें इस कृत्य के बारे में बताया। दोनों (अरुण और रानी) को (उनके आचरण को लेकर) चेतावनी दी गई और अपीलार्थी अरुण ने खुद काम पर आना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है।

14. इसी प्रकार, अपीलार्थीगण के दुर्व्यवहार पर अजीत सिंह (अभि.सा.-3) ने गवाही दी कि घटना से लगभग 2-3 महीने पहले, अपीलार्थी राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज ने ड्यूटी के समय शराब पी और मैनेजर (मृतक) के साथ दुर्व्यवहार किया। उनके दुर्व्यवहार के कारण, उन्हें सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि अपीलार्थी अरुण और रानी के बीच प्रेम संबंध थे। एक दिन रानी और तरुण (अरुण का भाई) ने ऊंची आवाज में कारखाने में झगड़ा शुरू कर दिया। उन्हें कार्यालय में बुलाया गया और दोनों को खुद को संभालने के लिए कहा गया। तरुण और रानी को उनके पारिवारिक मामलों के कारण कारखाने में झगड़ा न करने की चेतावनी दी गई थी। उन्होंने कहा कि मृतक ने उन्हें बताया था कि एक बार उन्होंने अपीलार्थी अरुण और रानी को खाली कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके बाद अरुण को कर्तव्य की उपेक्षा और आदेशों की अवहेलना के कारण सेवाओं से निष्कासित कर दिया गया था। 17.10.2008 को उसने मृतक को शाम 05:20 से 05:30 बजे के बीच अपनी मोटरसाइकिल से एमआईई के पास ओल्ड बैंक में छोड़ा था।

15. मृतक के शव की बरामदगी के पहलू पर, अभि.सा.-1 ने गवाही दी कि 17.10.2008 को *करवाचौथ* था और उसकी माँ (श्रीमती सुशीला) ने उसके पिता (मृतक) को उनके मोबाइल नंबर 9416052814 पर लगभग

6:00 बजे फोन करके उनके लौटने के बारे में पूछा था। उसके पिता ने उसकी माँ से कहा था कि वह आधे घंटे में लौट आएंगे। (श्रीमती सुशीला कभी भी न्यायालय में गवाह के रूप में पेश नहीं हुईं और गवाही नहीं दी)। इसके बाद अभि.सा.-1 खेलने के लिए बाहर चला गया। वह लगभग 7:30-7:45 बजे शाम को लौटा और उसे उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता अभी भी काम से नहीं लौटे हैं। उसने अपने पिता से उनके मोबाइल फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद पाया गया। 30-45 मिनट के बाद, वह अपने पिता के बारे में पूछताछ करने के लिए उनके कारखाने में गया और गार्ड ने उसे बताया कि उसके पिता सहित सभी कर्मचारी कारखाने के बंद होने के समय चले गए थे। उसने कहा कि उसके बाद उसने अपने पिता को अपने नाना के घर गांव टिकरी में खोजा और उसका मौसेरा भाई (उसकी माँ की बहन का बेटा), अभि.सा.-2 भी इस तलाश में उसके साथ शामिल हो गया। उन्होंने कुछ अस्पतालों में अपने पिता की तलाश की और पुलिस चौकी बहादुरगढ़, पुलिस चौकी एमआईई और पुलिस चौकी *टिकरी* भी गए। हालांकि, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल सकी। वे आधी रात को वापस आ गए। उन्होंने आगे गवाही दी कि 18.10.2008 को लगभग 7:15 बजे, वह अपने मौसेरे भाई के साथ फिर से अपने पिता की तलाश में विभिन्न स्थानों पर गया। वह लगभग 8:15 बजे पुलिस चौकी *टिकरी* पहुंचा और पुलिस ने उसे सूचित किया कि सूचना मिली थी कि निजामपुर रोड पर एक

शव मिला है। जब वह पुलिस चौकी में था, तो कुलदीप सिंह दलाल (अभि.सा.-13) भी वहां पहुंच गया। वे सभी अभि.सा.-13 की कार में उस स्थान पर गए जहां शव पड़ा हुआ था। जब वे खेतों में पहुंचे, तो उन्हें एक खेत में एक शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी पहचान उसने अपने पिता के रूप में की। युद्धवीर सिंह (अभि.सा.-2) की गवाही भी इसी तरह की है, जो अभि.सा.-1 का मौसेरे भाई है।

16. यद्यपि मृतक की हत्या के कारण मृत्यु तथा अपीलार्थीगण को अपराध से जोड़ने के लिए मृत्यु का समय सिद्ध करने के लिए डॉ. वी.के. झा (अभि.सा.-8) से पूछताछ की गई, तथापि पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.अभि.सा.-8/ङ) ने मृत्यु का समय निश्चित करने की अपेक्षा अधिक भ्रम उत्पन्न किया है। मृतक की हत्या विवाद का विषय नहीं है। तथापि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभि.सा.-8 ने मृत्यु के समय को 41 घंटे बताया है, जबकि न्यायालय में दर्ज अपनी गवाही में उसने मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 22 घंटे पूर्व बताया है। उसने इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा न्यायालय में अपने बयान में मृत्यु का अनुमानित समय क्यों बदला, सिवाय इसके कि कोई सटीक समय नहीं दिया जा सका।

17. यह सुस्थापित है कि जहां अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, वहां जिन परिस्थितियों से दोष

का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पहले पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए; परिस्थितियां निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए; परिस्थितियों को एक साथ लिया जाना चाहिए, जो अभियुक्त के अपराध की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करे; अभिलेख पर सिद्ध की गई परिस्थितियां अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत होनी चाहिए और परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला का निर्माण करना चाहिए और यह साबित किया जाना चाहिए कि सभी संभावनाओं में, अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था। *(हनुमंत गोविंद नरगुंडकर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1952 एससी 343 और शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1984) 4 एससीसी 116)*

18. अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण को अपराध से जोड़ने और किसी अन्य परिकल्पना को बाहर करने के लिए सिवाय इसके कि मृतक की हत्या अपीलार्थीगण द्वारा की गई थी, निम्नलिखित परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया:

(i) आखिरी बार एक साथ देखे जाने के साक्ष्य;

(ii) अपीलार्थीगण की निशानदेही पर खून से सने कुछ कपड़े बरामद किए गए तथा अपीलार्थीगण अरुण, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और राम प्रकाश उर्फ गुड्डू की निशानदेही पर तीन चाकू/खंजर बरामद किए गए और

(iii) अपराध करने का मकसद

<u>आखिरी बार एक साथ देखे गए</u>

19. हम पहले ही अभि.सा.-13 की मुख्य परीक्षा के प्रासंगिक हिस्से को उद्धृत कर चुके हैं, जिसने खुद को मृतक को अपीलार्थीगण के साथ अंतिम बार जीवित देखने का गवाह बताया है। अजीत सिंह (अभि.सा.-3) के अनुसार, जो मेसर्स के.एन. इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड, बहादुरगढ़ में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था, उसने मृतक को 17.10.2008 को लगभग 05:20-05:30 बजे एम.आई.ई. के पास ओल्ड बैंक में छोड़ा था। उसने बताया कि मृतक ने उसे बताया था कि उसे टिकरी में कुछ काम है। जैसा कि पहले बताया गया है, अभि.सा.-13 ने गवाही दी कि जब वह शाम 7:00 बजे निजामपुर रोड से बहादुरगढ़ लौट रहा था, तो उसने मृतक को अपीलार्थी रानी के साथ निजामपुर रोड की ओर जाते देखा। उसने यह भी देखा कि शेष चार अपीलार्थी लगभग 50 मीटर की दूरी से उनका पीछा कर रहे थे। इस गवाह की प्रतिपरीक्षा की गई कि वह कैसे निजामपुर रोड पर अपनी कार में बहादुरगढ़ की ओर जा रहा था। जैसा कि पहले बताया गया है, अपने मुख्य परीक्षण में अभि.सा.-13 ने निम्नलिखित गवाही दी: -

> *".... शाम करीब 7 बजे, मैं निजामपुर गांव से रोहतक रोड की तरफ जा रहा था। रोहतक रोड से पहले मैंने सतदेव राठी को देखा जो एक महिला रानी के साथ निजामपुर रोड*

की तरफ जा रहा था (रानी भी उस समय मेरी फैक्ट्री में काम करती थी)। अरुण, राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज नाम के चार व्यक्ति भी सतदेव राठी और रानी के पीछे थे। (सतदेव राठी-रानी और अरुण, राम प्रकाश उर्फ गुड्डू, कृष्ण उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज के बीच की दूरी करीब 50 मीटर है)।

20. अपने प्रतिपरीक्षण में उसने यह बयान दिया कि वह 17.10.2008 को फैक्टरी नहीं गया था। उसने 17.10.2008 को मृतक से 3-4 बार टेलीफोन पर संपर्क किया था। उसने यह भी बताया कि मृतक से उसकी आखिरी बातचीत दोपहर करीब 01:00-01:30 बजे हुई थी। उसने अपना टेलीफोन नंबर 9811508854 और स्वर्गीय सतदेव राठी का टेलीफोन नंबर 9416052814 बताया। उसने यह भी बताया कि उसने स्वर्गीय सतदेव राठी का मोबाइल नंबर अपने टेलीफोन में सेव कर रखा था, जिसे वह प्रतिपरीक्षण की रिकॉर्डिंग के दिन यानी 01.07.2009 को भी साथ लाया था। 14.04.2009 को दर्ज की गई अपनी आगे की प्रतिपरीक्षा में अभि.सा.-13 से निजामपुर रोड पर उसकी मौजूदगी के कारण के बारे में पूछताछ की गई, जहां उसने कथित तौर पर मृतक और अपीलार्थीगण को देखा था। उन्होंने बताया कि 17.10.2008 को वे अपनी फैक्ट्री नहीं गए थे क्योंकि उनके साथ कुछ विदेशी मेहमान ठहरे हुए थे जिनकी वे देखभाल कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे अपने मेहमानों को कनॉट प्लेस में खरीदारी के लिए ले गए थे और वे शाम

5:30 बजे तक बाजार में थे, जिसके बाद वे निजामपुर रोड से अपने घर लौट रहे थे। उन्होंने बताया कि वे पहले भी कई बार उस रोड पर गए थे, जहां उस दिन उन्होंने अपीलार्थीगण को मृतक के साथ देखा था।

21. हमें अभि.सा.-13 की गवाही की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले, कनॉट प्लेस से बहादुरगढ़ तक कई अच्छी सड़कें हैं। न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि अभि.सा.-13 सीधे दिल्ली-रोहतक रोड पर अपने निवास पर जा सकता था, जो कि एक राजमार्ग है, बजाय इसके कि वह कुछ छोटे मार्गों पर भटक जाए, वह भी शाम के समय। भले ही यह मान लिया जाए कि अज्ञात कारणों से अभि.सा.13 ने अपने निवास पर जाने के लिए कथित मार्ग को अपनाया, जैसा कि उसने बताया था, फिर भी वह अच्छी तरह से जानता था कि तीनों अपीलार्थी राम प्रकाश, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज को मृतक के साथ उनके दुर्व्यवहार के कारण कारखाने से निकाल दिया गया था। इसी तरह, अभि.सा.-13 को यह भी पता था कि रानी और अरुण कुमार को शर्मिंदा किए जाने के बाद अपीलार्थी अरुण भी काम पर नहीं आ रहा था। अभि.सा.-13 कोई देहाती ग्रामीण नहीं है। वह बहादुरगढ़ में एक और नोएडा में एक सहित कई कारखानों का मालिक है। यदि उसने वास्तव में अपीलार्थी रानी को मृतक के साथ शेष चार अपीलार्थीगण के साथ पाया होता, तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में बहुत संदेह पैदा होता।

स्वाभाविक मानवीय आचरण मृतक से यह पूछना होता कि वह अपीलार्थी रानी के साथ अकेले कैसे जा रहा है और उसे चेतावनी देना होता कि अन्य चार अपीलार्थी, जिनमें से तीन को मृतक के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण सेवा से निकाल दिया गया था, उसका पीछा कर रहे थे। इसके अलावा, अभि.सा.-13 कुछ विदेशी मेहमानों के साथ था, जैसा कि उसने दावा किया है। उसकी पत्नी भी कार में बैठी थी। भले ही अभि.सा.-13 ने इसे उचित नहीं समझा हो या जल्दी में हो (हालांकि उसने ऐसा दावा नहीं किया हो), उससे कम से कम यह अपेक्षा की जा सकती थी कि वह मृतक को फोन करता और पहले बताए गए स्थान पर विषम समय पर उसकी उपस्थिति के बारे में पूछता। अभि.सा.-13 ने मृतक को चेतावनी दी होती या कम से कम उसे सलाह दी होती कि उसका पीछा चार आपत्तिजनक व्यक्ति कर रहे हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभि.सा.-13 ने दावा किया है कि उसे मृतक का मोबाइल नंबर याद है और उसने उसे अपने मोबाइल फोन में सेव भी कर रखा था जो कि प्रतिपरीक्षण की रिकॉर्डिंग की तारीख को भी उसके मोबाइल में मौजूद था। इस प्रकार, अभि.सा.-13 का आचरण स्वाभाविक मानवीय व्यवहार के विपरीत है।

22. इतना ही नहीं, अभियोजन पक्ष के अनुसार मृतक के पुत्र अभि.सा.-1 ने उससे (अभि.सा.-13) दिनांक 18.10.2008 को रात्रि 8:15 बजे पुलिस

चौकी *टिकरी* में मुलाकात की। अभि.सा.-1 और अभि.सा.-13 ने कहा कि वे अभि.सा.-2 के साथ उस स्थान पर गए जहां शव पड़ा था और अभि.सा..-1 और अभि.सा.-13 ने स्वीकार किया कि शव को देखने पर अभि.सा.-1 ने उसकी पहचान अपने पिता के रूप में की। अभि.सा.-13 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि दिनांक 18.10.2008 को जब वह प्रातः लगभग 8:00 बजे अपनी फैक्टरी में पहुंचा तो फैक्टरी के गार्ड ने उसे मृतक सतदेव राठी के पिछली रात घर न पहुंचने की सूचना दी। उसने कहा कि उसे तुरन्त यह बात खटक गई कि उसने पिछली शाम रानी और चार अन्य अपीलार्थीगण को मृतक के साथ देखा था। इस प्रकार वह तुरन्त पुलिस चौकी टिकरी पहुंचा। अतः पुलिस चौकी टिकरी पहुंचने पर अभि.सा.-13 द्वारा पुलिस के समक्ष यह महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करना स्वाभाविक था। यदि उस समय उसके द्वारा ऐसा न भी किया गया होता, तो भी जब वह मृतक के पुत्र (अभि.सा.-1) तथा भतीजे (अभि.सा.-2) के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तथा मृतक का शव पाया, तो उसने तुरंत अभि.सा.-1 तथा पुलिस अधिकारियों को यह बता दिया होता कि उसने मृतक को पिछली शाम पांच अपीलार्थीगण के साथ देखा था। यहां तक कि यदि यह सूचना अभि.सा.-13 द्वारा अभि.सा.-1 अथवा पुलिस को दी गई होती, तो मामला अभि.सा.-13 के बयान पर पंजीकृत होता, न कि अभि.सा.-1 के बयान पर, जिसमें पांच अपीलार्थीगण के नाम संदिग्ध के रूप में उल्लेखित होते। अभियोजन पक्ष के कथन में संदेह का

एक और पहलू है। अभि.सा.-13 के अनुसार, उसने मृतक और अपीलार्थी रानी को पैदल चलते देखा और उसी समय उसने चार अपीलार्थीगण को मृतक और अपीलार्थी रानी का लगभग 50 मीटर की दूरी पर पीछा करते देखा। यह अत्यधिक असंभव और अविश्वसनीय है कि यदि पांच अपीलार्थीगण ने किसी साजिश में भाग लिया होता, तो चार अपीलार्थी मृतक और अपीलार्थी रानी का केवल 50 मीटर की दूरी पर पीछा कर रहे होते। जाहिर है, मृतक ने भी पीछे मुड़कर अन्य चार को देखा होगा। इस प्रकार, अभि.सा.-13 की गवाही मानवीय तर्क को चुनौती देती है। इसलिए, उसका यह कथन कि 17.10.2008 को लगभग 7:00 बजे, उसने अपीलार्थी रानी को मृतक के साथ देखा और उसके बाद शेष चार अपीलार्थीगण को देखा, अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है।

23. '*आखिरी बार एक साथ देखे गए*' सिद्धांत तभी महत्वपूर्ण हो जाता है जब मृतक की मृत्यु का समय पर्याप्त रूप से स्थापित हो और यह साबित हो कि मृतक को अंतिम बार अभियुक्त के साथ जीवित देखा गया था और मृतक और अभियुक्त को एक साथ देखे जाने के समय और उसकी मृत्यु के समय के बीच किसी अन्य व्यक्ति के आने की कोई संभावना नहीं थी। वर्तमान मामले में, मृत्यु का सटीक समय या यहां तक कि अनुमानित समय भी स्पष्ट नहीं किया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.अभि.सा.-8/ए) के अवलोकन से पता चलता है कि

मृतक के शव का पोस्टमार्टम 18.10.2008 को दोपहर 1:00 बजे किया गया था और मृत्यु के बाद से 41 घंटे का समय दिया गया था। इससे मृतक की मृत्यु का समय 16.10.2008 को सुबह लगभग 6:00 बजे होगा। हालांकि, मृतक 17.10.2008 की शाम तक जीवित था। अज्ञात कारणों से अभि.सा.-8 ने अपने न्यायालयी बयान में मृत्यु के बाद की अवधि को 41 घंटे से बदलकर 22 घंटे कर दिया। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए तो मृत्यु का समय 17.10.2008 को लगभग 3:00 बजे अपराह्न होगा। यह भी स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मृतक को कथित रूप से अभि.सा.-13 द्वारा 17.10.2008 को लगभग 07:00-07:30 बजे जीवित देखा गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. वी.के. झा (अभि.सा.-8) ने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से लापरवाही से पालन किया क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु के बाद का समय केवल उनके पास भेजे गए संक्षिप्त तथ्यों के आधार पर दिया है और *रुक्का* के आधार पर भी, जहां प्रारंभ में घटना का समय 16.10.2008 को शाम 05:00 बजे से 17.10.2008 को सुबह 07:00 बजे के बीच बताया गया था। इस प्रकार, हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्र.अभि.सा.-8/क) तथा मृतक की मृत्यु के समय के संबंध में अभि.सा.-8 की गवाही पर अधिक भरोसा करने के लिए इच्छुक नहीं हैं।

24. अभियोजन पक्ष का कथन और साथ ही '*आखिरी बार एक साथ देखे गए*' का सिद्धांत अन्य कारणों से भी विफल हो जाता है। अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी अरुण के फोन नंबर 9355732140 और अपीलार्थी रानी के मोबाइल नंबर 9355733307 के कॉल रिकॉर्ड को अभिलेख पर रखा है। कॉल रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे 17.10.2008 को सुबह 5:00 बजे से रात 9:05 बजे तक एक-दूसरे से बार-बार बात कर रहे थे। अभि.सा.-13 का दावा है कि उसने 17.10.2008 को शाम 7:00 बजे रानी को मृतक के साथ देखा था। अपीलार्थी रानी और अरुण के बीच 17.10.2008 को शाम 7:08 बजे, 7:09 बजे, 7:15 बजे, 7:19 बजे, 7:20 बजे, 7:29 बजे, 7:34 बजे, 7:50 बजे, 7:54 बजे, 8:03 बजे और 9:05 बजे कॉल हुई हैं। यह समझना मुश्किल है कि जब एक महिला उसकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले अपने वरिष्ठ (मैनेजर) को अपने जाल में फंसा रही थी, तो वह व्यक्ति उस महिला को किसी अन्य व्यक्ति से इतनी बार बात करने की अनुमति कैसे देगा। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, सभी अपीलार्थी शाम 7:30 बजे के बाद एक साथ थे। इस प्रकार, उनके लिए मोबाइल फोन पर बात करने का कोई अवसर नहीं हो सकता था।

25. जांच में एक और गंभीर चूक हुई है। अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार मृतक के पास मोबाइल फोन था। मृतक की पत्नी ने

17.10.2008 को शाम 6:00 बजे उससे बात की थी और उसके बाद उसके बेटे ने भी उससे बात करने की कोशिश की। मृतक ने अपनी पत्नी को बताया था कि वह आधे घंटे में घर वापस आ जाएगा और उसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। हालांकि, अज्ञात कारणों से जांच अधिकारी को मृतक के फोन का कॉल विवरण नहीं मिला। चूंकि *'आखिरी बार एक साथ देखे गए'* के सबूत को अन्यथा अविश्वसनीय माना गया है, इसलिए जांच अधिकारी की ओर से यह चूक अभियोजन पक्ष के बयान को और पुख्ता करती है।

<u>संलिप्तता दर्शाने वाले सामान की बरामदगी</u>

26. *'आखिरी बार एक साथ देखे गए'* के साक्ष्य के अलावा, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी अरुण कुमार, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और राम प्रकाश उर्फ गुड्डू की गिरफ्तारी के समय उनके द्वारा बताए गए खून से सने चाकुओं प्र.पी-1, पी-2 और पी-3 की बरामदगी पर भी भरोसा किया है। साथ ही, अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलार्थी अरुण कुमार खून से सना काला *पायजामा* पहने हुए पाया गया।

27. बेशक, कथित बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र/लोक साक्षी मौजूद नहीं था। चाकू प्र.पी-1 कथित तौर पर अपीलार्थी अरुण कुमार द्वारा अपने प्रकटीकरण कथन प्र.अभि.सा.-16/7 के अनुसरण में खेत के दक्षिण पश्चिम कोने में झाड़ियों में छिपा हुआ बरामद किया गया था, जहां

निजामपुर रोड पर सतदेव राठी का शव पड़ा मिला था। इसी तरह, चाकू प्र.पी-2 और पी-3 कथित तौर पर अपीलार्थी कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और राम प्रकाश द्वारा अपने प्रकटीकरण कथन प्र.अभि.सा.-16/8 और प्र.अभि.सा.-16/9 के अनुसरण में जय सिंह नामक व्यक्ति के खेत में एक जगह पर खुदाई करने के बाद बरामद किए गए थे। चाकू प्र.पी-1 से पी-3 साधारण चाकू थे और वे कोई मूल्यवान संपत्ति नहीं थे। अपीलार्थीगण के पास इन चाकुओं को छिपाने का कोई कारण नहीं था और वह भी घटना स्थल के पास खुले खेतों में। इसी तरह, उपरोक्त तीनों अपीलार्थीगण ने भी आई.ओ. को बताया कि उन्होंने वही कपडे पहन रखे थे जो उन्होंने तब अपराध को अंजाम देते वक्त पहन रखे थे। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर फूल सिंह और ओम प्रकाश शर्मा के कमरे से खून से सने कुछ कपड़े बरामद किए। यह समझ में नहीं आता कि अगर उनके पास अपने कुछ कपड़ों से खून के धब्बे धोने का मौका था, तो उन्होंने बाकी कपड़ों को क्यों नहीं धोया और उन्हें छिपा दिया ताकि बाद में पुलिस को पता चल जाए।

28. *प्रभु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1963 एससी 1113 में,* खून से सनी कमीज और धोती की बरामदगी और साथ ही एक कुल्हाड़ी जिस पर मानव रक्त लगा था, जिसे अभियुक्त की दोषसिद्धि के लिए बेहद कमज़ोर साक्ष्य माना गया था। *नरसिनभाई हरिभाई प्रजापति आदि*

बनाम छत्रसिन और अन्य, एआईआर 1977 एससी 1753 में, खून से सनी कमीज और धोती की बरामदगी और अपराध का हथियार, धारिया को कमज़ोर साक्ष्य माना गया था। *सुरजीत सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1994 एससी 110* में, एक घड़ी की बरामदगी जो मृतक की बताई गई है तथा मृतक के ही रक्त समूह के रक्त से सना खंजर, कमजोर साक्ष्य माना गया। इसी प्रकार का दृष्टिकोण उच्चतम न्यायालय द्वारा *देवा बनाम राजस्थान राज्य, 1999 एससीसी (सीआरआई) 41 और मणि बनाम तमिलनाडु राज्य, 2009 (17) एससीसी 273* में अपनाया गया था।

29. *प्रभु, नरसिनभाई हरिभाई प्रजापति, सुरजीत सिंह और मणि* में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, हम अपीलार्थीगण अरुण कुमार, राम प्रकाश और कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा के कहने पर की गई कथित बरामदगी को अधिक महत्व देने के इच्छुक नहीं हैं।

<u>उद्देश्य</u>

30. अभियोजन पक्ष ने मकसद के संबंध में कुछ सबूत पेश किए हैं। धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अपीलार्थी राम प्रकाश, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज ने अपने बयानों में इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी भी फैक्ट्री में शराब पीने के बाद मृतक के साथ दुर्व्यवहार किया था या उन्हें नौकरी से निकाला गया था। उन्होंने मेसर्स के.एन.

इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड में से नौकरी छोड़ने की अलग-अलग तारीखें बताईं।

31. अभियोजन पक्ष का कथन है कि अपीलार्थी राम प्रकाश, कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पृथ्वी राज को शराब पीने के बाद मृतक के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण फैक्ट्री से निकाल दिया गया था। इसी प्रकार, अभियोजन पक्ष के कथन के अनुसार अपीलार्थी रानी और अरुण कुमार को फैक्ट्री में उनके आपत्तिजनक व्यवहार के लिए मृतक द्वारा परामर्श दिया गया था और अपीलार्थी अरुण कुमार ने यह मानते हुए काम पर आना बंद कर दिया था कि उसे निकाल दिया गया है, फिर भी, जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा पांचों अपीलार्थी के रोजगार रिकॉर्ड जब्त नहीं किए गए। आरोप पत्र में स्थापित अभियोजन पक्ष के मामले, जो धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज गवाहों के बयानों से परिलक्षित होता है के अनुसार, तीनों अपीलार्थीगण द्वारा मृतक के साथ दुर्व्यवहार की घटना इस घटना से दो-तीन वर्ष पहले घटित हुई थी। हालांकि, न्यायालय में इस आशय के साक्ष्य पेश किए गए कि वो घटना इस घटना से महज दो-तीन महीने पहले हुई थी। गवाहों को धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत उनके बयानों के साथ विधिवत सामना कराया गया। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के कथन को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थीगण के रोजगार की अवधि को इंगित करने के लिए संपूर्ण रोजगार रिकॉर्ड को जब्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण

था, जिसे जांच अधिकारी द्वारा उन कारणों की वजह से नहीं किया गया, जो इन्हें ही अच्छे से पता हैं। इतना ही नहीं, अभि.सा.-13 ने कहा था कि 24.10.2008 को पुलिस रिकार्ड जब्त करना चाहती थी, लेकिन उसने इस आधार पर रिकार्ड देने से इनकार कर दिया कि रिकार्ड को केवल तभी न्यायालय में पेश किया जाएगा, जब इसकी आवश्यकता होगी। अगर वास्तव में कोई अभिलेख होता, तो जांच के दौरान जांच अधिकारी द्वारा इसे जब्त कर लिया जाता।

32. इसके अलावा, कर्मचारियों की कुछ कंप्यूटर जनित सैलरी शीट को भी प्र.अभि.सा.-13/ए से प्र.अभि.सा.-13/डी के रूप में साबित करने की मांग की गई। इनसे पता चलता है कि अपीलार्थी रानी को अक्टूबर, 2008 के महीने के लिए कुछ वेतन मिला था, जबकि अन्य अपीलार्थीगण के नाम उसमें नहीं थे। जून, 2008 के महीने के सैलरी शीट में कृष्ण कुमार उर्फ़ कृष्णा, अरुण कुमार और पृथ्वी राज के नाम थे, लेकिन अपीलार्थी राम प्रकाश का नाम स्पष्ट रूप से अनुपस्थित था। यदि इन सैलरी शीट पर विश्वास किया जाए, तो वे अपीलार्थी राम प्रकाश के बयान को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं कि उनके और अन्य लोगों द्वारा मृतक के साथ दुर्व्यवहार की कोई घटना नहीं हुई थी और उन्होंने अप्रैल, 2008 में ही मेसर्स के.एन. इंटर प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड से नौकरी खुद छोड़ दी थी। यह सुस्थापित है कि किसी अभियुक्त से यह अपेक्षा नहीं की जाती

कि वह अपने बचाव को युक्तियुक्त संदेह की छाया से परे साबित कर सके। इस प्रकार, जून, 2008 के महीने के सैलरी शीट में अपीलार्थी राम प्रकाश का नाम न होना उसके बचाव को विश्वसनीय बनाता है, जो अभियोजन पक्ष के बयान पर फिर से संदेह पैदा करता है।

33. अभियोजन पक्ष के बयान को देखते हुए, यदि रोजगार रिकॉर्ड जब्त कर लिए जाते तो इस बात की कुछ जानकारी मिल जाती कि अपीलार्थीगण की सेवाएं कब और कैसे समाप्त की गईं या उनमें से किसी ने काम पर आना बंद कर दिया था।

34. रोजगार रिकॉर्ड की जब्ती न होने के कारण, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। जो भी रिकॉर्ड/कंप्यूटर जनरेटेड सैलरी शीट पेश की गई, वह अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं करती। इसी तरह, अभियोजन पक्ष के बयान के अनुसार, अपीलार्थी अरुण कुमार ने खुद काम पर आना बंद कर दिया, जबकि अपीलार्थी रानी अभी भी काम कर रही थी। इस प्रकार, अपीलार्थी अरुण कुमार और रानी के लिए इतना ज़ोरदार मकसद नहीं हो सकता कि वे कथित रूप से जघन्य अपराध करने के लिए किसी साजिश में शामिल हों। अन्यथा भी, यह पूरी तरह से स्थापित है कि मकसद, हालांकि मजबूत है, अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। *एन.जे. सूरज बनाम राज्य, (2004) 11 एससीसी 346, संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य, (2010) 9 एससीसी 747 और रुकिया बेगम*

बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 4 एससीसी 779 का हवाला देते हुए, *संपत कुमार बनाम पुलिस निरीक्षक, कृष्णगिरी, (2012) 4 एससीसी 124* में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि केवल मकसद ही दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता। पैरा 29 और 30 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया :--

> *"29. एन.जे. सूरज बनाम राज्य, (2004) 11 एससीसी 346 में, अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य और मकसद पर आधारित था। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था, उन पर चर्चा करने के बाद, इस न्यायालय ने उस मकसद को खारिज कर दिया जो अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा की गई एकमात्र शेष परिस्थिति थी, जिसमें कहा गया था कि मकसद का उपस्थित होना दोषसिद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि यह सुस्थापित है कि परिस्थितियों की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए जो एक अपरिहार्य निष्कर्ष तक ले जाए, जो अभियुक्त की निर्दोषता के साथ असंगत है।*
>
> *30. संतोष कुमार सिंह बनाम राज्य, (2010) 9 एससीसी 747 और रुकिया बेगम बनाम कर्नाटक राज्य, (2011) 4 एससीसी 779 में इस न्यायालय का निर्णय भी इसी प्रभाव का है, जहां इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि किसी अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य की अनुपस्थिति में केवल मकसद अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सुनील राय बनाम कें.शा.प्र., चंडीगढ़, (2011) 12 एससीसी 258 में इस न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ लिया जा सकता है। इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को*

इस प्रकार स्पष्ट किया: (सुनील राय मामला, एससीसी पृष्ठ 266, पैरा 31-32)

> *"31. ... किसी भी घटना में, अकेले मकसद शायद ही दोषसिद्धि का आधार हो सकता है।*
>
> *32. अभिलेख पर मौजूद सामग्रियों के आधार पर, अभियुक्त के खिलाफ कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन जैसा कि अक्सर कहा जाता है, संदेह, चाहे कितना भी गहरा हो, सबूत नहीं बन सकता।"*

35. इस मामले में, भले ही यह मान लिया जाए कि संभवतः कुछ शिकायतें मौजूद थीं, लेकिन यह अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि का आधार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

36. रोजगार अभिलेखों की जब्ती न होना, मृतक के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल न मिलना, शव बरामद होने के समय अभि.सा.-13 का बयान दर्ज न होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अभि.सा.-8 की गवाही में विसंगतियां, हालांकि व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन जब इन्हें कमियों के साथ पढ़ा जाता है तो मकसद के बारे में गंभीर संदेह पैदा होता है।

37. अपीलार्थीगण पर मृतक की हत्या करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। यह सच है कि साजिश रचने का प्रत्यक्ष साक्ष्य शायद ही कभी उपलब्ध होता है, फिर भी, यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह साजिश को अप्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा साबित करे जो स्पष्ट, ठोस और विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा न किए

जाने पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थीगण स्वर्गीय सतदेव राठी की हत्या करने के लिए किसी आपराधिक साजिश में शामिल हुए थे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विचारण न्यायालय ने धारा 34 और 120ख भारतीय दंड संहिता दोनों को लागू किया है और अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया है। आरोप पत्र के अनुसार, वे सभी घटनास्थल पर मौजूद थे। हालाँकि, ऊपर बताए गए कारणों से, हमने माना है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे उक्त आरोपों को साबित करने में सक्षम नहीं है।

38. उपर्युक्त कारणों से अपीलें सफल होने के लिए बाध्य हैं; तदनुसार उन्हें अनुमति दी जाती है। तदनुसार निर्णय और सजा पर आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।

39. उपरोक्त शर्तों के अनुसार अपीलों को अनुमति दी जाती है।

40. लंबित आवेदनों का भी निपटान कर दिया गया है।

41. आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जाए।

(जी.पी. मित्तल)
न्यायाधीश

(संजीव खन्ना)
न्यायाधीश

18 मार्च, 2014
वीके

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*